

भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 (फैक्स: 23389985)

सं.: एल-12011/1/2016-जीपी-1

दिनांक 18 अगस्त, 2017

सेवा में

सीएमडी,
गेल, नई दिल्ली

विषय:- सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) उद्देश्य के लिए उपलब्ध मोड (कैस्केड मोड सहित) के माध्यम से घरेलू प्राकृतिक गैस

महोदय,

मुझे गेल के दिनांक 13 अक्टूबर, 2016 के पत्र सं. गेल / सीओ / गैस विपणन/ एमओपीएनजी / सीजीडी / 2016 / घरेलू गैस-आरएसजीएल का संदर्भ लेने और यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न कंपनियों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जिनके पास किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र (जीए) सीजीडी नेटवर्क विकसित करने या ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में पृथक सीएनजी-डीबीएस स्टेशनों की स्थापना करने के लिए पीएनजीआरबी का 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' है, जिन्हें अभी सीजीडी नेटवर्क के लिए अधिकृत किया जाना है। ये कंपनियां वर्तमान में ऐसे क्षेत्रों में गैस पाइपलाइनों की कनेक्टिविटी के अभाव में वैकल्पिक मोड (कास्केड सहित) के माध्यम से सीएनजी (परिवहन) के लिए घरेलू गैस की मांग कर रही हैं। मामले की मंत्रालय में जांच की गई और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिया गया है -

- i) गेल को इस मंत्रालय के दिनांक 8 जून 2016 के दिशानिर्देश पत्र सं. एल-12011/1/2016 जीपी-1 के अंतर्गत पीएनजीआरबी का प्राधिकार रखने वाली कंपनियों को सीएनजी (परिवहन) और पीएनजी (घरेलू) प्रयोजन के लिए उपलब्ध मोड (कैस्केडेड मोड सहित) के जरिए नए भौगोलिक क्षेत्रों में सीजीडी नेटवर्क के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है।
- ii) गेल को सीएनजी (परिवहन) प्रयोजन के लिए उपलब्ध मोड (कैस्केडेड मोड सहित) के माध्यम से पृथक सीएनजी-डीबीएस स्टेशन के लिए घरेलू गैस की आपूर्ति और सुपुर्दगी करने का निर्देश दिया जाता है, जिन्हें भौगोलिक क्षेत्रों में पीएनजीआरबी द्वारा जारी एनओसी अनुमति के साथ स्थापित किए जा रहा है, और अभी अधिकृत किया जाना है, तब तक ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को सीजीडी नेटवर्क के लिए अधिकृत किया जाता है।

- iii) तथापि, ऐसे पृथक सीएनजी स्टेशनों को आपूर्ति की गई गैस दिनांक 20 अगस्त, 2014 और 08 जून, 2016 के एमओपीएनजी दिशानिर्देशों के तहत अनुमेय 10% की मात्रा के अतिरिक्त होगी।

हस्ता./-

(एस.पी. अग्रवाल)

अवर सचिव (जीपी)

दूरभाष सं. 23388652

प्रतिलिपि - सचिव पीएनजीआरबी,

महानिदेशक, पीपीएसी, नई दिल्ली - सूचना और आगे की उचित कार्रवाई के लिए ।